



PRESS CONFERENCE
REG. SPECIAL INTENSIVE REVISION (SIR-2026)

DATE : 30-07-2026 AT 01:00 PM

Venue :- MEDIA CENTER



SPECIAL INTENSIVE REVISION (SIR-2026)



**Publication of
Draft Electoral Roll**

14-07-2026

**Period for Filling
claim &
objections**

**14-07-2026
to
13-08-2026**

Notice phase

**14-07-2026
to
11-09-2026**

**Disposal of claim
& objections.**

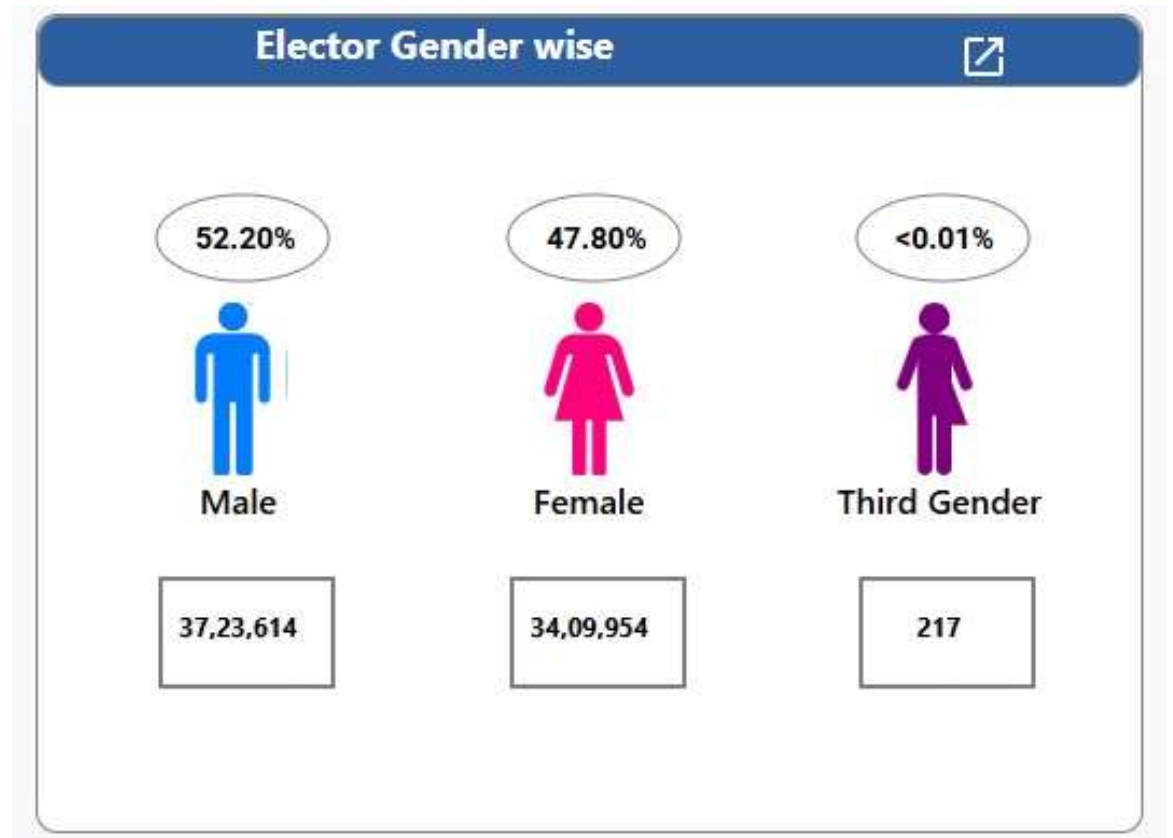
**14-07-2026
to
11-09-2026**

**Publication of
Final Electoral
Roll.**

15-09-2026

SPECIAL INTENSIVE REVISION (SIR-2026)

Total Voters
71,33,785





विशेष गहन पुनरीक्षण 2026

कोई भी पात्र मतदाता न छूटे

अगर आपके द्वारा गणना फॉर्म में उपलब्ध कराई गई सूचनाओं में किसी विसंगति के कारण आपको ERO द्वारा BLO के माध्यम से नोटिस प्राप्त हुआ है तो आप निम्न डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत कर सकते हैं।



दस्तावेजों की सूची

- 1 किसी भी केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
- 2 01.07.1987 से पूर्व भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकारी/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज।
- 3 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
- 4 पासपोर्ट।
- 5 मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षिक प्रमाण पत्र।
- 6 सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- 7 वन अधिकार प्रमाण पत्र।
- 8 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या किसी भी जाति का प्रमाण पत्र।
- 9 राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ कहीं अस्तित्व में हो)।
- 10 राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर।
- 11 सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।

12 आधार के साथ उपरोक्त 11 दस्तावेजों में से 1 दस्तावेज देना अनिवार्य है।



मतदाता सूची सम्बन्धी किसी भी जानकारी के लिए ECI-NET एप्प या www.voters.eci.gov.in पर

"BOOK A CALL WITH BLO"

के माध्यम से अपने BLO से सम्पर्क किया जा सकता है।



1 जुलाई 2026 को यदि आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं

या

अभी तक मतदाता सूची में आपका नाम किन्हीं कारणों से शामिल नहीं हो सका है तो

आज ही

ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म 6 भरकर आवेदन करें।

ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म 6 भरकर आवेदन करें।



ऑनलाइन
आवेदन

- www.voters.eci.gov.in या ECI-Net मोबाइल ऐप के माध्यम से फॉर्म 6 में अपनी जरूरी जानकारी के साथ घोषणापत्र भी अनिवार्य भरें।



ऑनलाइन फॉर्म 6 भरने संबंधी वीडियो देखने के लिए QR कोड स्कैन करें



ऑफलाइन
आवेदन

- मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए BLO से संपर्क कर आज ही फॉर्म-6 के साथ Annexure-IV घोषणापत्र अवश्य भरें।



नोट - वर्तमान में फॉर्म 6 के साथ आवेदक को वर्ष 2003 या आखिरी SIR की मतदाता सूची के आधार पर स्वयं/माता-पिता/दादा-दादी की जानकारी के साथ मैपिंग करानी अनिवार्य है।



नोट - वर्तमान में फॉर्म 6 के साथ आवेदक को वर्ष 2003 या आखिरी SIR की मतदाता सूची के आधार पर स्वयं/माता-पिता/दादा-दादी की जानकारी के साथ मैपिंग करानी अनिवार्य है।

वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना या अपने माता-पिता / दादा-दादी का नाम खोजें

www.ceo.uk.gov.in

या

www.voters.eci.gov.in



SCAN HERE



SCAN HERE

- यहाँ आप वर्ष 2003 के अनुसार अपने नाम, EPIC नंबर, गांव, गली, मुहल्ला अथवा एरिया के नाम से भी जानकारी सर्च कर सकते हैं।

अन्य राज्यों की अंतिम SIR मतदाता सूची में अपना नाम यहाँ से खोजे जा सकते हैं।



यदि आप अपने BLO से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो अपने परिवार के किसी मतदाता के EPIC नंबर के आधार पर ECI-NET App अथवा

www.voters.eci.gov.in पर उपलब्ध

“BOOK A CALL WITH BLO”

सुविधा के माध्यम से अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं।

District Wise Notice Deliver

District Name	Total AC	Total PS	Total Notice	Notice Delivered	% of Delivered
Almora	6	949	98529	79110	80.3%
Champawat	2	354	57261	35569	62.1%
Pauri Garhwal	6	1008	139967	72048	51.5%
Chamoli	3	633	63347	25281	39.9%
Bageshwar	2	405	42418	15984	37.7%
Nainital	6	1068	235089	27230	11.6%
Haridwar	11	1872	482659	51324	10.6%
Pithoragarh	4	651	89070	9318	10.5%
Dehradun	10	2045	547970	50771	9.3%
Udham Singh Nag	9	1642	446615	29979	6.7%
Rudraprayag	2	364	45734	2503	5.5%
Uttarkashi	3	558	63717	3066	4.8%
Tehri Garhwal	6	994	117501	5504	4.7%
TOTAL	70	12543	2429877	407687	16.8%



विशेष गहन पुनरीक्षण –2026



❖ विसंगतियों (Anomalies) के प्रकार :-

1

मतदाता एवं उसके माता-पिता के बीच आयु का अन्तर <15

2

मतदाता एवं उसके माता-पिता के बीच आयु का अन्तर >50

3

मतदाता एवं उसके दादा-दादी/नाना-नानी के बीच आयु का अन्तर <40

4

दो भाई या भाई-बहन के बीच आयु का अन्तर <9 माह

5

एक ही मतदाता के साथ प्रोजनी के रूप में >6

6

मतदाता के सम्बन्धी के नाम में कोई विसंगति (सेल्फ/प्रोजनी)

7

मतदाता के स्वयं के नाम में कोई विसंगति

8

लास्ट एस.आई.आर. की मतदाता सूची में अनमैप्ड

विशेष गहन पुनरीक्षण –2026

डॉक्यूमेंट्स की सांकेतिक (सम्पूर्ण नहीं) सूची:-

1

किसी भी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार /पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के नियमित कर्मचारी/ पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।

2

01.07.1987 से पहले भारत में, सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट।

3 & 4

- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट

5 & 6

- मान्यता प्राप्त बोर्डों, विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन, शैक्षिक प्रमाण पत्र।
- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

7 & 8

- वन अधिकार प्रमाण पत्र।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओ.बी. सी. या एस.सी. या एस.टी. या कोई भी जाति प्रमाण पत्र।

9

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी यह मौजूद हो)

10

किसी भी विधिक या, प्रशासनिक विनियम के तहत सरकारी अधिकारियों द्वारा रखा गया परिवार रजिस्टर

11

सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र।

12

आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या-23/2025-ERS/ Vol-II दिनांक 09.09.2025 (एनेक्सर-II) के माध्यम से जारी किए गए निर्देश, लागू होंगे।



THANK YOU

“No Eligible Voter to be left Behind”